

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



जयपुर, दिनांक

20 APR 2009

क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-3/सा.अंके./2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त (राजस्थान)।

विषय:- नरेगा में आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु की जाने वाली  
कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 में दि. 31.03.09 तक रोजगार उपलब्ध कराये गये समस्त परिवारों का विवरण मध्य मजदूरी भुगतान एवं सामग्री के उपयोग तथा उस पर व्यय की गई राशि की सूचना दिनांक 15.05.09 तक हर स्थिति में निम्न प्रारूप में प्रत्येक ग्राम की ग्राम पंचायत पर/ सर्वोच्च राजकीय विद्यालय/ आंगनवाड़ी/ सार्वजनिक स्थान आदि के कक्षों के बाहर की ओर सहज दृष्ट्या ऐसी दीवार पर लिखवाया जाना सुनिश्चित करें जिस पर लिखी गई सूचना वर्षा के दौरान भी अगले 3-4 वर्ष तक सुरक्षित रह सके।

ग्राम..... ग्राम पंचायत ..... में नरेगा में निम्न परिवारों को रोजगार/व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया -

क्र. स.	परिवार के मुखिया का नाम	पिता/पति का नाम	MIS फीडिंग परिवार का कोड नं.	वर्ग (SC/ST/BPL अन्य)	वर्ष 08-09				*वर्ष 09-10
					वर्ष में उपलब्ध कराये गये रोजगार के दिनों की सं.	भुगतान योग्य/की गई कुल राशि	दिया गया अन्य लाभ (मेडबन्दी/ कुआं/ धोरा/इन्दिरा आवास/ पेन्शन) (Amount)	व्यतगत लाभ की राशि	6 से 9 के अनुरूप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

\* कालम न. 6 से 10 तक की प्रविष्टि वर्षवार इसी प्रकार आगे हर वर्ष की अंकित की जावे।  
सचिव

नोट- सूचना के सम्बन्ध में अपनी राय/प्रतिक्रिया आयुक्त (नरेगा) शासन सचिवालय जयपुर/जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा) पंचायत समिति अथवा जिले के टॉल फ्री नरेगा हैल्पलाइन फोन नम्बर ..... पर फोन कर दी जा सकती है।

इस सूचना के लिखवाने हेतु प्रति नियोजित परिवार हेतु अधिकतम तीन रूपये की राशि व्यय की जा सकती है चूंकि यह सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष उपरांत अप्रैल माह में लिखवाई जानी है, अतः सूचना इस प्रकार लिखवाई जावे कि कॉलम संख्या 1 से 5 को हर वर्ष

दुबारा नहीं लिखना पड़े। अगले वर्ष के लिये कॉलम नं. 6 से 9 तक को पुनः लिखा जावे। यह सूचना लिखे जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 31.03.09 तक की प्रयुक्त समस्त मस्टररॉल्स अनुसार ग्रामवार रोजगार रजिस्टर (संख्या 7) आदिनांक (UPDATE) हो। यदि वर्ष के अन्तिम पंखवाड़े (16.03.09 से 31.03.09 तक) की मस्टररॉल्स का भुगतान बुकाया है तो भी मस्टररॉल्स मूल्यांकन अनुसार आई राशि एवं वास्तविक श्रमिक नियोजन दिवसों का जोड़ करके इस डिस्ट्रिक्ट (प्रदर्शित) बोर्ड पर लिखी जावे परन्तु यह नहीं हो कि मार्च माह के मूल्यांकन/भुगतान के अभाव में ग्राम में डिस्ट्रिक्ट (प्रदर्शित) बोर्ड पर सूचना अंकित नहीं हो।

यह अनुभव किया गया है कि राज्य के समस्त 41000 आवासीय ग्रामों में से प्रति 100 से 600 ग्राम परिवारों के मध्य वर्ष पर्यन्त नरेगा में परिवार नियोजित हो रहे हैं, अतः उक्त डिस्ट्रिक्ट (प्रदर्शित) बोर्ड न्यूनतम 4 फुट के मध्य चौड़ाई में एवं आवश्यकतानुसार लम्बा हो परन्तु एक बोर्ड 100 से ज्यादा परिवार का नहीं हो। इसी प्रकार वर्ष पर्यन्त कार्यवार प्रयुक्त समाग्री की सूचना निम्न प्रारूप में विद्यालय कक्षों की बाहरी दिवार पर दिनांक 15.05.2009 से पूर्व लिखवाना सुनिश्चित करें।

ग्राम..... ग्राम पंचायत.....में नरेगा में कार्यवार उपयोग में ली गई सामग्री का विवरण -

वर्ष 2008-2009/ 2009-10/ -----

क्र. स.	कार्य का नाम	MIS के अनुसार कार्य का यूनिक कोड नम्बर	उपयोग में ली गई सामग्री का विवरण - आइटम की संख्या एवं राशि							इस कार्य पर वर्ष पर्यन्त कुल व्यय			
			सीमेन्ट		बजरी		पत्थर		अन्य		श्रम	सामग्री	कुल
			कट्टे (BAGS)	दर प्रति बैग	ट्रौली	दर	ट्रौली	दर	नग	दर			
1.													
2.													
3.													

नोट -

- उक्त प्रपत्र में सूचना का इन्द्राज कार्य के पूर्ण होने पर किया जावे।
- सूचना के सम्बन्ध में अपनी राय/प्रतिक्रिया आयुक्त (नरेगा) शासन सचिवालय जयपुर/जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा) पंचायत समिति अथवा जिले के टॉल फ्री नरेगा हेल्पलाइन फोन नम्बर 1077 पर फोन कर दी जा सकती है।
- उक्त सूचना का परिसम्पति रजिस्टर सं. 12 में भी आदिनांकीकरण अंकित किया जावे।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत) 17/4

शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त (राजस्थान) को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रामो)